तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
03/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप[illegible] अप्रार्थीगण । लगा· 12 की ओर से [illegible] श्री अरविन्द प्रताप सिंह ने वकालतनामा पेश किया एवं साथ ही प्रा· पत्र अन्तर्गत धारा-151 सि·प्र·स· बाबत खारिज [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पेश कि[illegible] वास्ते जवाब प्रा· पत्र एवं जवाब अप्रार्थी[illegible] । लगा· 13 पत्रावली दिनांक 19/12/2025 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)
19/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। प्रा·पत्र 151 पर बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश दिनांक 22/12/25 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)
22/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। प्रा·पत्र 151 जा·दी· एवं जवाब प्रा·पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अवलोकन किया गया। प्रा· पत्र 151 जा·दी का स्वीकार किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रा· पत्र खारिज किया जाता है। दिनांक 23/07/2025 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा वेकेट की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा
दमा नम्बर 96/2024
र दिनांक 23.07.2024
य दिनांक 22.12.2025

उनवान

रामबाबू उम्र 40 वर्ष पुत्र किशनलाल
गौरव उम्र 25 वर्ष पुत्र किशनलाल खुर्द } समस्त जाति कुम्हार निवासी श्यालावास तह. बांदीकुई जिला दौसा

—प्रार्थीगण

बनाम

छोटेलाल पुत्र मोहनलाल
रामरतन पुत्र मोहनलाल
निवासी श्यालावास खुर्द सिकन्दरा रोड़ बांदीकुई, वार्ड नं. 12 तहसील बसवा जिला दौसा (राज.)
जयसिंह पुत्र मोहनलाल निवासी मकान नं. 1278 मनोहरपुरा, कच्ची बस्ती जगतपुरा जयपुर (राज.) 302025
राजवन्ती पुत्री मोहनलाल पत्नि कैलाश जाति कुम्हार निवासी ओन्डा हाल बस्सी, कुम्हार मौहल्ला बस्सी पिन नं. 303301
सुखा देवी पत्नि कन्हैयालाल
दिनेश प्रजापति पुत्र कन्हैयालाल
मनोज प्रजापति पुत्र कन्हैयालाल निवासी श्यालावास खुर्द, हालनिवासी जाबडपाडी मौहल्ला, पतासे वालो की गली अलवर (राज.) 301001
सुनिता पुत्री कन्हैयालाल पत्नि महेश प्रजापति निवासी निमला बाजार दिल्ली दरवाजा बसवा तहसील बसवा (राज.) 303327
गुड्डी देवी पत्नि लक्ष्मण
. शुभम प्रजापति पुत्र लक्ष्मण
. निक्की प्रजापति पुत्र लक्ष्मण
निवासी मकान नं. 1257 मनोहरपुरा कच्ची बस्ती, तारा मॉडर्न स्कूल जगतपुरा जयपुर (राज.) 302025
. निकिता प्रजापति पुत्री लक्ष्मण पत्नि रामनारायण निवासी बनियाना तहसील दौसा जिला दौसा पिन नं. 303303
. उमेश चन्द पुत्र मोतीलाल जाति कुम्हार निवासी श्यालावास खुर्द, वार्ड नं. 12 सिकन्दरा रोड़ बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा
. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)

—अप्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र जर्ये वकील न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है– प्रार्थीगण ने आज ही माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त उनवानी एक वाद पत्र पेश कर दिया है, जिसमें प्रार्थीगण को कामयाब होने की पूरी–पूरी संभावना है कि दावा प्रार्थीगण के पक्ष में यकीनन डिकी होगा।भूमि खाता संख्या नया 11 पुराना 12 के आराजी खसरा नं. 1363/1078 रकबा 0.49 हैक्टे. कुल किता 01 कुल रकबा 0.49 हैक्टेयर एवं भूमि खाता संख्या नया 35 पुराना 34 के आराजी खसरा नं. 1076 रकबा 0.13 हैक्टे., खसरा नं. 1077 रकबा 0.13 हैक्टे. कुल किता 02 कुल रकबा 0.26 हैक्टे. वाके गांव श्यालावास खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 13 की सहखातेदारी की भूमि है। नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 संलग्न वाद पत्र है। प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 02 में वर्णित भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के लोग है तथा हिन्दु विधि से शासित है तथा पक्षकारान भूमि मुतदाविया पर पूर्वजों के समय से आपसी सहमति व समझौते से शामलात में काश्त कर उपयोग–उपभोगकरते चले आ रहे है। भूमि का अभी पक्षकाराज के मध्य विधिक बंटवारा नहीं होने से लगान आदि को लेकर एवं काश्त को लेकर आपस में आये दिन झगडे फिसाद होने लगे है जिससे शामलात में काश्त करना सम्भव नही रहा है। भूमि संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है जिस पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का हक व अधिकार निहित है। भूमि अलवर – सिकन्दरा मेगा हाईवे पर स्थित होने से सड़क की भूमि को लेकर पक्षकारान में विवाद उत्पन्न हो गये है। प्रत्येक खातेदार का सहक की भूमि पर कानूनन बराबर का हक अधिकार है तथा उसी अनुसार पक्षकारान अपने हिस्से अनुसार भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। विधिक बंटवारा नहीं होने के कारण प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि में सरकारी सहायता प्राप्त करने से महरूम हो रहे है तथा बिना विधिक बंटवारा हुए अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को उसके हक अधिकारों से वंचित करने पर आमादा है एवं बिना बंटवारा हुए ही भूमि को दीगर लोगो को बेचान कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से भूमि मुतदाविया का दिनांक 15.07.2024 को विधिवत बंटवारा करने हेतु तहसील में चलने के लिए कहा, तो अप्रार्थीगण इन्कार हो गये। प्रार्थीगण भूमि का बिना बंटवारा किये दीगर लोगों को बेचान करने पर आमादा है। दिनांक 15.07.2024 को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से भूमि का विधिक बंटवारा हेतु कहने पर इंकार हो गये एवं अपने साथ 03–04 अनजान लोगो को लेकर भूमि पर आ गये तथा सड़क के लगते हुये भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर कब्जा करने पर आमादा हो गये। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को रोका तो अप्रार्थीगण ने ऐलानिया कहा कि वह मौका पाकर मेगा हाईवे के लगते हुये सम्पूर्ण रकबे पर अकेले ही कब्जा करेगें तथा पुख्ता निर्माण कर वादीगण को उसके हक अधिकार से हमेशा के लिये वंचितकर देगे एवं भू–माफिया लोगो को भूमि को बेचान वारने की ऐलानिया धमकी देने लगे। विवादित भूमि में हिस्से अनुसार प्रार्थीगण भूमि

उप खण्ड

बंटवारा कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से दिनांक 15.07.2024 को
धिवत तकास्मा कराने के लिये कहा तो अप्रार्थीगण इंकार हो गये। प्रार्थीगण विधिक
कास्मा कराकर अपना हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करना चाहते है।
सलिये भूमि मुतदाविया का सरस बरस के अनुसार तकास्मा किया जाकर प्रार्थीगण का
लग चक अलग खाता तथा अलग लगान कायम किया जाकर अलग अलग पासबुक
री करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। अप्रार्थीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो येन
न प्रकारेण प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाते रहते है। यदि अप्रार्थीगण अपने उद्देश्य में
फल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से
भव नहीं हो सकेगी। प्रार्थीगण अपने जायज हक हकूक व भूमि से वंचित हो जावेगे तथा
नकारान के मध्य कई तरह के मुकदमे होकर प्रार्थीगण बर्बाद हो जावेगे। इसलिये
प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे प्रार्थीगण
ामित्व की भूमि में बाधा उत्पन्न न करे उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न
करे। किसी प्रकार की दखलान्दाजी न करे इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश
रना आवश्यक हुआ है।

प्राईमाफेसाई केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त बमुकाबिले
प्रार्थीगण, प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण में दिनांक 23.07.2024 को एकतरफा
तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी तलबी अप्रार्थीगण की गयी। अप्रर्थीगण की ओर
धारा 151 का प्रार्थना पत्र टी.आई. खारिज करने हेतु पेश किया गया जो संक्षिप्त में
म्न प्रकार है:–

उपरोक्त अनुवानी प्रकरण में आज की तारीख पेशी नियत है, तथा संलग्न प्रा०पत्र
स्थाई निषेधाज्ञा भी आमाज की तारीख पेशी में सुनवाई हेतू श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।
रोक्त अनुवानी प्रकरण में प्रार्थीगण रामबाबू कौ. द्वारा, उक्त अनुवानी प्रा०पत्र अस्थाई
षे० अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश, एकपक्षीय रूप से, बिना उद्यार्थीगण की सुनवाई
दिनांक 23/07/2024 को पारित फरमा दिया गया था तथा उक्त आदेश द्वारा, प्रा. पत्र
चरण सं. 2 में वर्णित भूमि मुतदाविया की मौका व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायें
ने के आदेश प्रदान किया गया था तथा उक्त प्रा०पत्र में वर्णित तथ्यानुसार वादीगण व
तिवादीगण अपने–2 हिस्से अनुसार काबिज काश्त है तथा इससे पूर्व इसके पूर्वज भी
हमी तौर पर हिस्से अनुसार बंटवारा कर, काबिज काश्त रहे है तथा प्रतिवादीगण द्वारा,
मे मुतदाविया को खुर्द–बुर्द करने व रहन–बय करने की कोई सम्भावना कभी नहीं रही
तथा वादीगण द्वारा सही तथ्यों का छिपाया गया है व व्यपदेशन किया गया है बाबजूद
सके प्रार्थीगण–रामबाबू वगै० द्वारा एक पक्षीय आदेश दिनांक 23/7/2024 न्यायालय
जा से प्राप्त कर लिया गया था, इसकी आड़ में प्रार्थीगण आदेश दिनांक 23/7/2024
बेजा फायदा उठाकर प्रतिवादीगण को हैरान–परेशान कर रहे है तथा इस आदेश के
प्रतिवादीगण, सरकारी सहयता प्राप्त नही कर पा रहे है तथा अपने हिस्से की
का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे है तथा माताजी (प्रतिवादीगण सं. 1 लगा0

उप खण्ड अधिकारी

12) तोफादेवी की मृत्यु हो जाने पर भी उनके हिस्से की भूमि का नामान्तकरण (प्रतिवादी सं. 1 लगा0 12) के पक्ष में भी नहीं खुल पा रहा है, जिससे उस वर्णित प्रतिवादीगण, वह जो कि पहले से अपनी गरीबी से बदहाल है। इस आदेश दिनांक 23/7/2024 के कारण अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा उन्हे अपूरणीय क्षति कारित हो रही है तथा उन्हें अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है जो सहन करने योग्य नहीं है। वादीगण का हिस्सा, उनके हारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा बाहमी बंटवारा अनुसार ही काबिज काश्त है इसलिए भी वादीगण का कोई प्रथम दृष्ट्या मामला भी उक्त अनुवानी दावा व प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अन्तर्गस्त नहीं है तथा इस कारण से प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त एकपक्षीय टी.आई. आदेश दिनांक 23/7/2024 विधि अनुसार नहीं है व खारिज किये जाने योग्य है इसलिए न्यायहित में आदेश दिनांक 23/7/2024 को खारिज फरमाये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक है। बकिया उज्रात वरवक्त बहस अर्ज कर दिये जावेगें। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 151 को दोहराते हुये दिनांक 23.07.2024 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने का नेवेदन किया गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया ाया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरणों का निस्तारण निम्नांकित तीन बिंदुओं के आधार पर केया जाता है। 1. प्रथम दृष्ट्या मामला 2. सुविधा का संतुलन 3. अपूर्णीय क्षति का सेद्धांत

1. प्रथम दृष्ट्या मामलाः– वादी वादग्रस्त भूमी में तकास्मा चाहता है। वादी
ा कथन है कि दिनांक 15.07.2024 को अप्रार्थीगण द्वारा भूमी का बंटवारा करने से इन्कार
र दिया व बिना बंटवारा दिगर शक्स को बेचान करने पर आमादा है इसलिए प्रकरण में
स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी व प्रतिवादीगण
पने–अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमी में बाहमी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है
ुर्द–बुर्द करने रहन–बय करने की कोई संभावना कभी नहीं रही है। वादीगण द्वारा तथ्यों
ो छिपाकर एक पक्षीय आदेश दिनांक 23/7/2024 न्यायालय हाजा से प्राप्त कर लिया
या था, इसकी आड़ में प्रार्थीगण आदेश दिनांक 23/7/2024 का बेजा फायदा उठाकर
तिवादीगण को हैरान–परेशान कर रहे है तथा इस आदेश के कारण, प्रतिवादीगण,
रकारी सहयता प्राप्त नही कर पा रहे है तथा अपने हिस्से की आराजी का उपयोग
पभोग नहीं कर पा रहे है तथा माताजी (प्रतिवादीगण सं. 1 लगा0 12) तोफादेवी की मृत्यु
ा जाने पर भी उनके हिस्से की भूमि का नामान्तकरण (प्रतिवादी सं. 1 लगा0 12) के पक्ष
ं भी नहीं खुल पा रहा है, जिससे उस वर्णित प्रतिवादीगण, वह जो कि पहले से अपनी
रीबी से बदहाल है। इस आदेश दिनांक 23/7/2024 के कारण अत्यधिक परेशानी का
ामना करना पड रहा है तथा उन्हे अपूरणीय क्षति कारित हो रही है तथा उन्हें अत्यधिक
सुविधा का सामना करना पड़ रहा है जो सहन करने योग्य नहीं है। वादीगण का हिस्सा,
उनके हारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा बाहमी बंटवारा अनुसार ही काबिज काश्त
इसलिए भी वादीगण का कोई प्रथम दृष्ट्या मामला भी उक्त अनुवानी दावा व प्रा०पत्र

उप खण्ड अधिकारी

स्थाई निषेधाज्ञा में अन्तर्गरत्त नहीं है तथा इस कारण से प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त एकपक्षीय ी.आई. आदेश दिनांक 23/7/2024 विधि अनुसार नहीं है व खारिज किये जाने योग्य है सलिए न्यायहित में आदेश दिनांक 23/7/2024 को खारिज फरमाये जाने का आदेश देया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 3 व प्रतिवादी 5 के ति व 8 के पिता की संयुक्त खातेदारी भूमी है जिसमें वादी द्वारा पेश वाद साक्ष्य/सबूतों े आधार पर निर्णित किया जाना है तब तक किसी संयुक्त खातेदारों को अस्थायी नेषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष ं साबित नहीं है।

2. सुविधा का संतुलन 3. अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत :– सुविधा की दृष्टि से ोनों बिंदुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें सभी खातेदारों का हिस्सा होता है इसलिए पूर्णीय क्षति कारित नहीं होती है। प्रतिवादी का कथन है कि तोफा की मृत्यु हो जाने पर उनके हिस्से का नामांतरण अस्थायी निषेधाज्ञा के जारी रहते हुये नहीं खुल पा रहा है। सलिए सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में नहीं होकर प्रतिवादीगण के पक्ष में है अतः परोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में दिनांक 23.07.2024 को जारी अंतरिम अस्थायी षेधाज्ञा वैकेट किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि भूमी खाता सं. नया 11 पुराना 12 के आराजी खसरा नं. 63/1078 किता 01 रकबा 0.49 हैक्टे. एवं भूमि खाता सं. नया 35 पुराना 34 के राजी खसरा नं. 1076, 1077 किता 02 कुल रकबा 0.26 हैक्टे. में दिनांक 23.07.2024 जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा वैकेट किया जाकर प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का रिज किया जाता है। प्रकरण फैसलशुमार होकर मूलवाद के हमफिता हो। मेरे द्वारा ज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

22/12/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

1. अदालत श्रीमान SDM स

2. किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र

3. उनवान मुकदमा रामबाबू वगैरह

4. नम्बर व सन् मुदकमा ____________________

5. तारीख दायरा ____________________

6. तारीख फैसला ____________________

तारीख दाखिल होना मुहाफिजखाना ____________________

पील या निगरानी की तारीख फैसला ____________________

मिसल या हिस